

2025/207

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

भोजलाल vs. देव जाति सुटे vs. वनपुरिया

किस्म मुकदमा 251 P.R. Act नं. 61/1909/सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21 ³ / ₂₅	यह प्रार्थना-पत्र सरिस्ता रिपोर्ट के साथ वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली वास्ते इंतजार तामिल दिनांक 21/5/25 को पेश हो।	
22 ⁵ / ₂₅	पत्रावली पेश। अप्रार्थीगण 3, 6, 7, 9, 12, 15 स्वयं उपकृत हैं। वास्ते बहसतार तामिल। पेश करने जवाब दिनांक - 2/6/2025 को पेश हो।	जजकेलार मुसलिक
2/6/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थी स. 5, 14, 16 की मृत्यु सूचना तामिल में अंकित आई है। वास्ते पेश करने का मु. प्रा. पत्र। जवाब दिनांक - 16/6/25 को पेश हो। सहायक, पत्रावली वाले बाबत रेकार्ड एवं मीका रिपोर्ट तब. हिंडोली सुनलव ची जवे। पेशा (सामा)	बाबूलाल मि. क. क. क. मि. क. क. क. मि. क. क. क. मि. क. क. क.
16 ⁶ / ₂₅	पत्रावली पेश। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या. 5, 14, 16 की मृत्यु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय में पेश	

तारीख हुकम -	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जारी
	<p> करने से पूर्व वर्षों पहले हो चुकी है। इस बाबत तामिल घणियों में शामिल के दौरान रिपोर्ट अंकित भायी है। घाची द्वारा उक्त प्रकरण मृत व्यक्तियों के विरुद्ध पेश किया हुआ है। मृत व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है। वकील घाची ने मृत अपाधीनों के काम-मुकाम बनार जाने बाबत कोई शान पत्र भी पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण पर आगे विचारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण मृत व्यक्तियों के विरुद्ध चलने योग्य नहीं होने से कार्यवाही इसी हतर ड्रॉप की जाकर घाचीना पत्र घाची खगारिज किया जाता है। पश्चावली फैलल शुभार होकर बाद तबमील नम्बर से कम होकर वाकिल दफ्तर है। </p>	

उपखण्ड अधिकारी
 दिण्डोली

न्यायालय